छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांकः 28.07.2012 को पूर्वाह्न 11.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में हुई कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवाहीः—

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः—

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	अध्यक्ष
2.	प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढा	पूर्व कुलपति, बी—113, निराला नगर, लखनऊ।	सदस्य
3.	श्री आई०सी० द्विवेदी	(से०नि०) आई.पी.एस., 4/26, विशाल खण्ड, विजया बैक के पास गोमती नगर, लखनऊ	सदस्य
4.	श्री अरविन्द चौधरी	101 मेडिटेक अपार्टमेंट, प्लाट नं. 59, सेक्टर—56, गुड़गांव, हरियाणा।	सदस्य
5.	डॉ0 यू0एन0 शुक्ला	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर	सदस्य
6.	प्रो0 ए0एल0 जाटव	आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग	सदस्य
7	प्रो0 मुकेश रंगा	आचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
8.	प्रो0 नन्द लाल	आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग	सदस्य
9.	प्रो0 शिखा मिश्रा	आचार्या, अंग्रेजी विभाग	सदस्या
10.	डॉ0 संजय स्वर्णकार	उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 सुधान्शु पाण्डिया	उपाचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
12.	डॉ0 राजेश कुमार	प्रवक्ता, जीवन विज्ञान विभाग	सदस्य
13.	डॉ0 परवेज अरनेस्ट डीन	प्राचार्य, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर	सदस्य
14.	डॉ0(श्रीमती) आशा रानी राय	प्राचार्या, कानपुर विद्या मन्दिर पी0जी0 कॉलेज, कानपुर	सदस्या
15.	डॉ0 आर0बी0 चतुर्वेदी	प्राचार्य, पी0एस0एम0 कॉलेज, कन्नौज	सदस्य
16.	श्री धर्मेन्द्र वर्मा	वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
17.	श्री पी0एन0 प्रसाद	कार्य0 कुलसचिव, सी.एस.जे.एन.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्य डॉ0 यू0एन0 शुक्ला का स्वागत करते हुए परिषद को परिचय कराया एवं सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति का स्वागत किया गया। परिषद ने पूर्व सदस्यों डॉ0 एन0एम0 निगम एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री खेमकरन, से.नि. के बहुमूल्य सुझावों एवं विश्वविद्यालय के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मद सं०—1: कार्यपरिषद की गत् बैठक दिनांकः 20.01.2012 एवं आपात बैठक दिनांकः 30.03.2012 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से कार्यपरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 20.01.2012 एवं आपात बैठक दिनांकः 30.03.2012 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की परन्तु

बैठक दिनांकः 20.01.2012 की मद संख्या–12(क) एवं 12(ख) की अन्तिम पंक्ति में कुलाधिपति महोदय को संदर्भित किया जायेगा के स्थान पर कुलाधिपति महोदय को संसूचित किया जायेगा को स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–2: **वित्त समिति की प्रस्तावित बैठक दिनांकः 16.07.2012 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।**

परिषद द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांकः 16.07.2012 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एकेडमिक ग्राउण्ड को देखते हुए स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के शिक्षकों को वेतनमान दिये जाने एवं वेतन मद में व्यय की जानी वाली धनराशि 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाना चाहिए।

मद संख्या–3: **कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 20.01.2012 की मद संख्या–8(क) एवं 8(ख) में दर्शित विभिन्न पदों के विज्ञापन हेतु योग्यता के सम्बन्ध में शासनादेशों का पालन किया गया है अथवा नहीं? के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या पर विचार।**

कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 20.01.2012 की मद संख्या–8(क) एवं 8(ख) में दर्शित विभिन्न पदों के विज्ञापन हेतु योग्यता के सम्बन्ध में शासनादेशों का पालन किया गया है अथवा नहीं? के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या एवं विश्वविद्यालय के स्थायी अधिवक्ता की विधिक राय पर विचार करते हुए परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इससे सम्बन्धित अन्य प्रपत्रों/पत्रावलियों का भी पुनः परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए, जिसके लिए निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

1. श्री आई0सी0 द्विवेदी, सदस्य, कार्यपरिषद		अध्यक्ष
2. डॉ0 आशा रानी राय, सदस्या, कार्यपरिषद		सदस्या
3. डॉ0 सुधान्शु पाण्डिया, सदस्य, कार्यपरिषद		सदस्य
4. पी0एन0 प्रसाद, उपकुलसचिव (प्रशा0)	–	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

मद संख्या–4: **(क) डॉ0 आर0आर0 शर्मा, से0नि0, उपाचार्य एवं डॉ0 कमला द्विवेदी, से0नि0, उपाचार्या की प्रोफेसर के पद पर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नति के सम्बन्ध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 20.01.2012 के बिन्दु संख्या–12क एवं 12ख में लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यपरिषद द्वारा नामित कार्यपरिषद के सदस्य प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढा द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या पर विचार।**

डॉ0 आर0आर0 शर्मा, से0नि0, उपाचार्य एवं डॉ0 कमला द्विवेदी, से0नि0, उपाचार्या की प्रोफेसर के पद पर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नति के सम्बन्ध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 20.01.2012 के बिन्दु संख्या–12क एवं 12ख में लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यपरिषद द्वारा नामित कार्यपरिषद के सदस्य प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढा द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या को परिषद द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त यथावत स्वीकार कर लिया गया।

मद संख्या–4: (ख) प्रो० के०के बहल के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में कार्यपरिषद के सदस्य प्रो० महेन्द्र सिंह सोढा द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या पर विचार।

प्रो० के०के बहल के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में कार्यपरिषद के सदस्य प्रो० महेन्द्र सिंह सोढा द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या को परिषद द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त यथावत स्वीकार कर लिया गया।

मद संख्या–5: श्री सुरेश चन्द्र द्विवेदी, से०नि०, उपपुस्तकालयाध्यक्ष की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति किये जाने के प्रकरण में कार्यपरिषद के सदस्य प्रो० महेन्द्र सिंह सोढा द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या पर विचार।

श्री सुरेश चन्द्र द्विवेदी, से०नि०, उपपुस्तकालयाध्यक्ष की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति किये जाने के प्रकरण में कार्यपरिषद के सदस्य प्रो० महेन्द्र सिंह सोढा द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या को परिषद द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त यथावत अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–6: विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास आवंटन हेतु गठित समिति द्वारा बनायी गयी आवास आवंटन नियमावली के अनुमोदन पर विचार।

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास आवंटन हेतु गठित समिति द्वारा बनायी गयी **"आवास आवंटन नियमावली"** को अनुमोदित किया गया, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि केन्द्रियत सेवा के अधिकारियों के लिए पूर्व से आवंटित कालोनी को चिन्हित कर दिया जाये। जिससे स्थानान्तरण होकर आने वाले अधिकारियों को आवासीय समस्या न हो।

मद संख्या–7: विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत शिक्षकों को अन्य विश्वविद्यालयों में आवेदन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या पर विचार।

विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत शिक्षकों को अन्य विश्वविद्यालयों में आवेदन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या के बिन्दु–3 में उल्लिखित **"एवं सम्पूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम छः बार"** को विलोपित करते हुए परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यथावत स्वीकार कर लिया गया।

मद संख्या–8: विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को वैतनिक/अवैतनिक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार।

1. डॉ० मेधा धाण्डे, उपाचार्या, गणित विभाग, यू०आई०ई०टी०।

   डॉ० मेधा धाण्डे, उपाचार्या, को अवैतनिक अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय परिषद द्वारा लिया गया।

2. डॉ० मुनीष रस्तोगी, प्रवक्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज।

   डॉ० मुनीष रस्तोगी, प्रवक्ता को पूर्व में ही सवेतन अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा चुका था। अतः इस आदेश के परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया।

3. सुश्री सीमा पुष्कर, प्रवक्ता, फार्मेसी।

सुश्री सीमा पुष्कर, प्रवक्ता को पूर्व में ही सवेतन अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा चुका था। अतः इस आदेश के परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया।

परिषद द्वारा उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त अधिकारी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जो स्ववित्तपोषत पाठ्यक्रमों के शिक्षकों के अवकाश के सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

मद संख्या–9: **विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अनुशासन समिति गठित किये जाने पर विचार।**

विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अनुशासन समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कुलपति महोदय को समिति गठित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

मद संख्या–10: **विश्वविद्यालय के गतवर्ष दीक्षान्त समारोह में सम्बन्धित समिति द्वारा सर्वेश्रेष्ठ छात्र/छात्रा को कुलाधिपति स्वर्ण पदक का निर्धारण श्रेष्ठता सूची के शीर्ष पांच छात्रों में से सभी की सर्वांगीण (Overall) प्रतिभा को देख कर किया गया था से परिषद को संसूचित किया जाना।**

विश्वविद्यालय के गतवर्ष दीक्षान्त समारोह में सम्बन्धित समिति द्वारा सर्वेश्रेष्ठ छात्र/छात्रा को कुलाधिपति स्वर्ण पदक का निर्धारण श्रेष्ठता सूची के शीर्ष पांच छात्रों में से सभी की सर्वांगीण प्रतिभा को देख कर किया गया था, से परिषद को संसूचित किया गया।

मद संख्या–11: **विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में सर्वेश्रेष्ठ छात्र/छात्रा को कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिये जाने के निमित्त जिन पाठ्यक्रमों का परीक्षाफल जी0पी0ए0/सी0पी0आई0 पर आधारित होता है उनको सम्मिलित न किये जाने हेतु नीतिगत निर्णय लिये जाने पर विचार।**

विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में सर्वेश्रेष्ठ छात्र/छात्रा को कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिये जाने के निमित्त जिन पाठ्यक्रमों का परीक्षाफल जी0पी0ए0/सी0पी0आई0 पर आधारित होता है, बी0टेक0 पाठ्यक्रमों की भांति उनको भी सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान किये जाने के साथ ही सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्रा घोषित किये जाने के निर्णय के परीक्षण हेतु एक समिति गठित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

मद संख्या–12: **पद्म श्री प्रो0 रवि चतुर्वेदी, टी0वी0 क्रिकेट कामेंट्रेटर, ए–31/एफ, मुनिरका डी0डी0ए0 फ्लैट, नई दिल्ली के पत्र दिनांकः 11 जून, 2012 में उल्लिखित पी–एच0डी0 हेतु अनिवार्य नेट (NET) पात्रता परीक्षा से छूट दिये जाने के अनुरोध पर विचार।**

पद्म श्री प्रो0 रवि चतुर्वेदी, टी0वी0 क्रिकेट कामेंट्रेटर के पत्र दिनांकः 11 जून, 2012 में उल्लिखित पी–एच0डी0 हेतु अनिवार्य संयुक्त पी–एच.डी. प्रवेश पात्रता परीक्षा से छूट दिये जाने का निर्णय परिषद द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

(अनुपूरक कार्यसूची)

मद संख्या–1: विद्यापरिषद की बैठक दिनांक: 20 जून, 2012 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विद्यापरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 20.06.2012 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की गयी।

मद संख्या–2: विश्वविद्यालय में दिनांक: 28.01.2013 को सम्पन्न होने वाले 27वें दीक्षान्त समारोह से परिषद के सदस्यों को संसूचित किया जाना।

राजभवन से पुनः प्राप्त पत्र संख्या: ई–5523 / जी0एस0 (दीक्षान्त समारोह) दि0: 27.07.12 के क्रम में विश्वविद्यालय में दिनांक: 17.01.2013 को सम्पन्न होने वाले 27वें दीक्षान्त समारोह से परिषद के सदस्यों को संसूचित किया गया।

मद संख्या–3: विद्यापरिषद की बैठक दिनांक: 24.07.2009 के अन्य बिन्दु (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) के मद संख्या–1, जिसको कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 21.11.2009 के मद संख्या–04 पर अनुमोदित किया गया है, के क्रम में डिग्री के पीछे अंकतालिकायें मुद्रित न कराये जाने पर विचार।

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक: 24.07.2009 के अन्य बिन्दु (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) के मद संख्या–1, जिसको कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 21.11.2009 के मद संख्या–04 पर अनुमोदित किया गया है, के क्रम में डिग्री के पीछे अंकतालिकायें मुद्रित न कराये जाने का निर्णय परिषद द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

मद संख्या–4: एम0डी0 (आयुर्वेद) की सत्र 2010–11 की परीक्षाओं को पूर्व लागू पाठ्यक्रम के अनुसार कराये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा एम0डी0 (आयुर्वेद) की सत्र 2010–11 की परीक्षाओं को पूर्व लागू पाठ्यक्रम के अनुसार कराये जाने की अनुमति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी।

मद संख्या–5: शासनादेश संख्या–4002 / सत्तर–2–2000 दिनांक: 27 जुलाई, 2000 के आलोक में श्री सुशील कुमार द्विवेदी, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संगठन कांग्रेस द्वारा दिये गये ज्ञापन दिनांक: 26.07.2012 द्वारा बी0टेक0 की सांध्यकालीन कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के अनुरोध पर विचार।

श्री सुशील कुमार द्विवेदी, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संगठन कांग्रेस द्वारा दिये गये ज्ञापन दिनांक: 26.07.2012 द्वारा बी0टेक0 की सांध्यकालीन / पार्ट टाइम कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया जाये जो इस प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

(अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

मद संख्या–1: श्रीमती ज्योति सिंह, 153, लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी, कानपुर के प्रत्यावेदन के आधार पर प्रायोजित स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया गया कि एक ही विषय पर दो प्रायोजित पदक न हो एवं धनराशि निर्धारण के सम्बन्ध में प्रकरण वित्त समिति को संदर्भित किया जाये।

मद संख्या–2: उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अध्याय–5(26d) के अन्तर्गत कार्यपरिषद के नामित सदस्य के रूप में वित्त समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु **श्री नरेन्द्र भूषण**, से.नि., अपर

निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ, उ0प्र0 शासन, वित्त सेवायें एवं वर्तमान में सलाहकार, स्मारकों, संस्थाओं, पार्कों, उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एव अनुरक्षण समिति, उ0प्र0, निवास सी–2/182, सेक्टर–एफ, जानकीपुर, लखनऊ को नामित किये जाने का निर्णय परिषद द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

मद संख्या–3: विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर (समूह–ग एवं समूह–घ) कर्मचारियों की अर्हता एवं सेवा शर्तों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–253/सत्तर–1–2012–16(1)/2012 दिनांकः 20 जुलाई, 2012 में प्रतिस्थापित किये गये उपबन्ध को प्रथम परिनियमावली के परिनियम में सुसंगत स्थान पर सम्मिलित करने हेतु परिषद द्वारा यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–4: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की कार्यपरिषद के पूर्व सदस्यों के अतिथि गृह/इंटरनेशनल सेंटर में स्वयं के ठहरने पर निर्धारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने का निर्णय परिषद द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

मद संख्या–5: विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने का निर्णय परिषद द्वारा लिया गया।

अन्त में माननीय कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो0 अशोक कुमार)
कुलपति

(पी0एन0 प्रसाद)
कार्य0 कुलसचिव